भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1448
(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर प्रदेश में बारहमासी सड़कों की कमी

1448. श्री जितेंद्र दोहरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़क संपर्कता होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के इटावा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कई राजस्व ग्राम और बस्तियां अभी भी बारहमासी सड़क सुविधाओं से वंचित हैं और यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का पीएमजीएसवाई या किसी अन्य केंद्रीय योजना के अंतर्गत ऐसे वंचित गांवों का सर्वेक्षण करने और उन्हें चरणबद्ध तरीके से सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत निर्धारित आबादी के आकार वाली पात्र सड़क संपर्क रहित बसावटों को एकल बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए एकबारगी विशेष कार्यकलाप के रूप में की गई थी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़क संपर्कता प्रदान करने की प्राथमिक इकाई एक सड़क संपर्क रहित बसावट (आबादी का एक समूह) है। तदनुसार, निर्धारित जनसंख्या मानदंडों और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र, पूर्व में सड़क संपर्क रहित रही बसावटों को पहुंच प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एकल बारहमासी सड़क संपर्क की योजना बनाई जाती है और उसका कार्यान्वयन किया जाता है।

पीएमजीएसवाई के कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित मैदानी क्षेत्रों में किसी बारहमासी सड़क से 500 मीटर के भीतर स्थित बसावटों को जुड़ा हुआ माना जाता है और वे इस योजना के तहत पृथक सड़क संपर्कता के लिए पात्र नहीं होती हैं।

ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इटावा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों/संसदीय क्षेत्र के घटकों के लिए 589 किमी की कुल लंबाई वाली 189 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 573 कि.मी लंबाई की 188 सड़कें पूरी हो चुकी हैं, जबकि केवल 4 कि.मी लंबाई की 1 सड़क का कार्य शेष है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**इटावा निर्वाचन क्षेत्र जिला विवरण**	**कुल स्वीकृत**			**निर्मित**			**शेष**		
		सड़कों की संख्या	**सड़क लंबाई (किमी)**	**एलएसबी की संख्या**	**सड़कों की संख्या**	**सड़क लंबाई (किमी)**	**एलएसबी की संख्या**	**सड़कों की संख्या**	**सड़क लंबाई (किमी)**	**एलएसबी की संख्या**
1	औरैया	68	222	0	67	215	0	1	4	0
2	इटावा	99	289	0	99	281	0	0	0	0
3	कानपुर देहात	22	78	0	22	77	0	0	0	0
कुल योग		**189**	**589**	**0**	**188**	**573**	**0**	**1**	**4**	**0**

**नोट*: शेष लंबाई, स्वीकृत लंबाई में से पूरी की गई लंबाई को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर नहीं होगी; क्योंकि संरेखण में बदलाव और अन्य मुद्दों के कारण कुछ सड़कें स्वीकृत दूरी की तुलना में कम दूरी पर ही पूरी हो जाती हैं।

(ख) & (ग) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य देश भर में ₹70,125 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 25,000 पात्र सड़क संपर्क रहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना (62,500 किमी सड़कों का निर्माण) है। पीएमजीएसवाई-IV के तहत कोई अलग राज्य-वार लक्ष्य नहीं रखा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के जनसंख्या मानदंडों के आधार पर पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत सड़क संपर्कता प्रदान की जाने वाली बसावटों की पात्रता के मानदंड निम्नलिखित हैं:

i. मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें,

ii. विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड), विशेष श्रेणी के

क्षेत्रों [जनजातीय अनुसूची-V के क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, आकांक्षी ब्लॉक/जिले और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र (जहाँ ढलान 25% से अधिक और समुद्र तल से ऊँचाई 600 मीटर से अधिक हो)] में 250 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें, और

iii. गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिन्हित किए गए पुराने और थ्रस्ट जिलों सहित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें।

पीएमजीएसवाई-IV के तहत पात्र सड़क संपर्क रहित बसावटों की पहचान और जीआईएस-मैपिंग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश सहित) द्वारा ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप, पीएम गतिशक्ति स्पेशल प्लानिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तथा ओएमएमएएस पर सत्यापन के माध्यम से निर्दिष्ट सर्वेक्षण प्रक्रिया के तहत की गई है।

इस प्रक्रिया के दौरान चिन्हित कि गई पात्र सड़क संपर्क रहित बसावटों–जिसमें इटावा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बसावटें भी शामिल हैं–पर कार्यक्रम के दिशानिर्देशों, निधियों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक 20.07.2026 को आयोजित की गई थी।
